कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा (म.प्र.)

//परिपत्र//

1583

क्रमांकः——/परिपत्र नस्ती/24 आगर–मालवा, दिनांक 21/09/2026

प्रायः देखने में आ रहा है कि, जिला मुख्यालय आगर–मालवा एवं तहसील न्यायालय सुसनेर/नलखेड़ा मे पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण निर्धारित गणवेश में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नही हो रहे है।

शासन आदेशानुसार प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित रूप से ड्यूटी पर वर्दी पहनकर आना अनिवार्य है। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी पहनकर नही आता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं।

इस न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को वर्दी के रूप मे पेंट, शर्ट, टोपी व न्यायालय के बोर्ड हेतु पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के लिये पेंट, शर्ट, टोपी व पट्टा प्रदाय किया गया है एवं शासन के नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता भी प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है, किंतु स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण उक्त प्रदाय निर्धारित गणवेश में ड्यूटी पर उपस्थित नही हो रहे है, जो कि अनुशासनहीनता का परिचायक है एवं बिना गणवेश में ड्यूटी पर आने पर अर्थदण्ड का प्रावधान भी है।

अतः स्थापना में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वह निर्धारित गणवेश में ड्यूटी पर उपस्थित रहें अन्यथा की स्थिति में यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्धारित गणवेश में नहीं आता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी या अर्थदण्ड से दंडित किया जावेगा।

इस निर्देश का पालन कड़ाई से किया जाए ।

SA

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर–मालवा (म.प्र.)

1584(1-4)

पृष्ठांकन क्रमांक...../परिपत्र नस्ती/24 आगर–मालवा, दिनांक 21/09/2026

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रभारी अधिकारी/पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक जिला स्थापना आगर–मालवा/सुसनेर/नलखेड़ा की ओर उनके अधीनस्थ पदस्थ समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित।
2. समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण न्यायिक जिला आगर–मालवा/सुसनेर/नलखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय आगर–मालवा की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, वह समय–समय पर परिपत्र अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के वर्दी पहनकर न आने के संबंध मे प्रतिवेदन् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर प्रेषित करें।
4. आई. टी. असिस्टेंट कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय आगर मालवा की ओर उक्त परिपत्र को जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर–मालवा (म.प्र.)